प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 1760/व्यवस्थापन/2023-24/चमोली/दिनांक फरवरी, 23, 2024

विषयः **जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु राजस्व चार्ट में अंकित उपदुकानों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग संख्या- 148(1)/XXIII-1/2024-04(1)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा जारी अधिसूचना/ उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के विन्दु संख्याः 3.14 के अनुपालन में जनपद चमोली के अन्तर्गत विदेशी मदिरा दुकानों हेतु उपदुकानों का चयन कर उनका राजस्व निर्धारण चार्ट में उल्लेख किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड आबकारी विषयक नियमावली 2024-2025 के विन्दु संख्याः 3.14 में किये गये प्रावधान के अनुसार जनपद में विदेशी मदिरा दुकानों हेतु उपदुकान का उल्लेख करते हुए राजस्व निर्धारण चार्ट अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः राजस्व निर्धारण चार्ट 2024-25।

भवदीय,

23/02/2024

(प्रमोद मैठाणी)
जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

जिला आबकारी अधिकारी
चमोली

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या– 148(1)/XXIII-1/2024-04/(01)/ 2024 दिनांक 21 फरवरी, 2024 के कम में जनपद चमोली हेतु राजस्व निर्धारण चार्ट

क्र0 सं0	दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत वार्षिक (12 माह) हेतु दुकानवार व्यवस्थापित/आगणित राजस्व का विवरण			वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दुकानवार राजस्व निर्धारण								
		नवीनीकरण/लाटरी चरण	आफलाईन टैंडर चरण	अधिकतम ऑफर चरण									
		वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत नवीनीकृत मदिरा दुकानों का व्यवस्थापित राजस्व (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक)	वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत दिनांक 26.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक आफ लाईन टैंडर के माध्यम से विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 के राजस्व पर व्यस्थापित मदिरा दुकानों का वर्ष 2023–24 के 12 माहों का आगणित व्यवस्थापित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2023 को आफर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक वर्ष 2023–24 के 12 माहों का आगणित व्यस्थापित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2023–24 के व्यवस्थापित राजस्व पर 10 प्रतिशत की वृद्वि करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दुकानवार निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु नवीनीकरण शुल्क	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत उपदुकान हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कालम संख्या 9 का 2 गुना)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत दुकानवार अनुज्ञापन शुल्क (कालम संख्या 6 का 1 प्रतिशत एवं 1000 के पूर्णांक में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल वार्षिक अधिभार (कालम संख्या 6–कालम 9)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत एक माह हेतु न्यूनतम मसिक प्रत्याभूत ड्यूटी की धनराशि (मासिक अधिभार)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत हेसियत की धनराशि (कुल वार्षिक राजस्व का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति धनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गोपेश्वर	90756369	0	0	99832006	249580	1996000	998000	98834006	8236167	14974801	8236167	8236167
2	गौचर	72888156	0	0	80176972	200442	1604000	802000	79374972	6614581	12026546	6614581	6614581
3	पोखरी	68170476	0	0	74987524	187469	1500000	750000	74237524	6186460	11248129	6186460	6186460
4	चमोली	60150420	0	0	66165462	165414	1324000	662000	65503462	5458622	9924819	5458622	5458622
5	नन्दप्रयाग	42647827	0	0	46912610	117282	938000	469000	46443610	3870301	7036891	3870301	3870301
6	माईथान	20521908	0	0	22574099	56435	452000	226000	22348099	1862342	3386115	1862342	1862342
7	ग्वालदम	27881489	0	0	30669638	76674	614000	307000	30362638	2530220	4600446	2530220	2530220
8	कर्णप्रयाग	0	129532042	0	142485246	356213	2850000	1425000	141060246	11755021	21372787	11755021	11755021
9	जोशीमठ	0	97627811	0	107390592	268476	2148000	1074000	106316592	8859716	16108589	8859716	8859716
10	गैरसैंण	0	62806513	0	69087164	172718	1382000	691000	68396164	5699680	10363075	5699680	5699680
11	थराली	0	51270623	0	56397685	140994	1128000	564000	55833685	4652807	8459653	4652807	4652807
12	नारायणबगड	0	0	54063616	59469978	148675	1190000	595000	58874978	4906248	8920497	4906248	4906248
13	देवाल	0	0	48609277	53470204	133676	1070000	535000	52935204	4411267	8020531	4411267	4411267
14	घाट	0	0	44190252	48609277	121523	972000	486000	48123277	4010273	7291392	4010273	4010273
15	मैहलचौरी	0	0	21922956	24115252	60288	482000	241000	23874252	1989521	3617288	1989521	1989521
	योग	**383016645**	**341236989**	**168786101**	**982343708**	**2455859**	**19650000**	**9825000**	**972518708**	**81043226**	**147351556**	**81043226**	**81043226**

नोट :– आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024–25 के विन्दु संख्याः 3. 14 के अनुपालन में विदेशी मदिरा की दुकान गोपेश्वर, चमोली, नन्दप्रयाग, घाट, पोखरी, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गौचर, नारायणबगड़, थराली, गैरसैण, मेहलचौरी, माईथान, देवाल, ग्वालदम हेतु कमशः पोखरी बैड, पीपलकोटी, लंगासू, काण्डई पुल, मोहनखाल, हैंलग, नौटी, कमेड़ा, रैंस चौपता, कुलसारी, बोईताल, बाटाधार/नागचुलाखाल, गंगानगर, लोहाजंग ,लोल्टी में उपदुकान सृजन प्रस्तावित हैं।

23/2/24
श्रीमती आराधना रावत,
आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र–1 चमोली।

23/02/2024
श्री जयबीर सिंह
आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग।

23/2/24
श्रीमती आराधना रावत,
आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र–3 जोशीमठ।

23/2/2024
श्री प्रमोद मैठाणी,
जिला आबकारी
अधिकारी, चमोली।

श्री विवेक प्रकाश,
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली के सम्मुख भाग पर प्रस्तुत उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या–148(1)/XXIII–1/2024–04(1)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा जारी अधिसूचना उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके **बिन्दु संख्या–1.1 के अनुसार राजस्व का निर्धारण "(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवस्थापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा दुकानों तथा 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए देशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा" (पताका–क)। इसके अतिरिक्त विन्दु संख्याः 3.14 के अनुसार " प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित मदिरा दुकान के सापेक्ष एक उपदुकान खोले जाने की अनुमति दी सकेगी। प्रत्येक उपदुकान का अनुज्ञापन शुल्क मूल मदिरा दुकान के अनुज्ञापन शुल्क का दुगुना होगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि दुकानों के व्यवस्थापन से पूर्व उपदुकानों का चयन कर जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। अनुमोदन के उपरान्त भी उप दुकान खोलना अनुज्ञापी के लिए बाध्यकारी नही होगा एवं राजस्व निर्धारण चार्ट में भी इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि किसी दुकान की उप दुकान खोली जा सकती है" , का प्रावधान किया गया है।(पताका–ख)**

उपरोक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 15 (पन्द्रह) विदेशी मदिरा दुकान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपद अंतर्गत संचालित सभी 15 विदेशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2023–24 के व्यवस्थापित राजस्व के कुल योग में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2024–25 का राजस्व निर्धारण चार्ट पत्रावली के दायी ओर संलग्न है। **(पताका–ग)** उक्त राजस्व निर्धारण चार्ट दिनांक 23.02.2024 तक निर्धारित किया जाना है। **(पताका–घ)**

अतः महोदय से अनुरोध है कि सहमति की दशा में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जनपद चमोली में संचालित समस्त 15 विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण चार्ट पर हस्ताक्षर करना चाहें ताकि सम्बन्धित चार्ट अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें।

23/02/24
(धीरज भट्ट)
सहायक लेखाकार

23/02/2024
(प्रमोद मैठाणी)
जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

ADM
23/02/2024

23/2/24